

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय एवं तृतीय तल, ब्लॉक-5, शिक्षा संकुल परिसर,
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर - 17

फोन नं. 0141-2700870, 2709314

फैक्स नं. 0141-270822

क्रमांक - प.6/रास्कूशिप/जय/ बा.शि./मेबाआवि/ 6348

दिनांक : 3/10/2019

दिशा-निर्देश मेवात बालिका आवासीय विद्यालय 2019-20

I- संकल्पना एवं उद्देश्य -

अलवर जिले में संचालित मेवात बालिका आवासीय विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य उच्च प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालय खोलकर सुविधा वंचित वर्गों की बालिकाओं के लिए पहुँच एवं उत्तम शिक्षा सुनिश्चित करना है। अलवर जिले के मेवात क्षेत्र में सत्र 2019-20 में 10 मेवात बालिका आवासीय विद्यालयों का संचालन केजीबीवी पैटर्न पर शाला प्रबन्धन समितियों के माध्यम से राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर, ग्रामीण विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं राज्य सरकार के सहयोग से किया जाएगा। मेवात बालिका आवासीय विद्यालयों का विवरण, प्रारंभ वर्ष एवं नामांकन क्षमता निम्नानुसार है -

क्र.सं.	ब्लॉक	मेवात बा.आ.वि.	प्रारम्भ वर्ष	नामांकन
01.	उमरैण	चांदौली	2011-12	50
02.	उमरैण	महुआ खुर्द	2011-12	50
03.	रामगढ़	सहजपुर	2011-12	50
04.	रामगढ़	नगला बंजीरका	2011-12	50
05.	किशनगढ़बास	खानपुर मेवान	2012-13	50
06.	किशनगढ़बास	बाघौड़ा	2012-13	50
07.	तिजारा	जैरोली	2012-13	50
08.	लक्ष्मणगढ़	जमालपुर	2012-13	50
09.	कठूमर	माणकपुर गोठडी	2012-13	50
10.	मुण्डावर	मातौर	2012-13	50

उक्त विद्यालयों को सत्र 2019-20 में संचालन के लिए वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2019-20 में प्राप्त राशि का पूर्ण उपयोग कर संचालित किया जायेगा। छात्रावास संचालन का व्यय राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर द्वारा आवासीय छात्रावास मद में प्राप्त राशि से वहन किया जाएगा।

राज्य सरकार के निर्णयानुसार मेवात बालिका आवासीय विद्यालयों को शाला प्रबंधन समिति के माध्यम से संचालित किया जायेगा। प्रत्येक मेवात बालिका आवासीय विद्यालयों में कुल 4 शिक्षिकाओं को लगाया जायेगा। जिनमें से प्रत्येक विद्यालय में 2 शिक्षिकाओं को प्रतिनियुक्ति के माध्यम से पदस्थापित किया जायेगा एवं 2 शिक्षिकाओं को जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, अलवर द्वारा व्यवस्थार्थ लगाया जायेगा। यदि प्रतिनियुक्त शिक्षिकाओं

के पद रिक्त रहते हैं तो इन पदों पर भी जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, अलवर द्वारा शिक्षिकाओं को व्यवस्थित लगाना सुनिश्चित किया जायेगा।

उद्देश्य -

1. मेवात बालिका आवासीय विद्यालयों में समाज में वंचित वर्गों की बालिकाएं शिक्षा प्राप्त कर सकें इस हेतु प्राथमिकता से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं बीपीएल वर्ग की बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता है।
2. मेवात बालिका आवासीय विद्यालयों में आवासित बालिकाओं को शिक्षण के साथ-साथ आवास, भोजन, चिकित्सा, स्टेशनरी, स्टार्डफंड एवं दैनिक उपयोग की वस्तुएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है।
3. बालिकाओं को शिक्षण के साथ-साथ कौशल विकास प्रशिक्षण (Skill development training) हेतु दो कोर्स (कटिंग टेलरिंग एवं ब्यूटी कल्चर) का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि वो शिक्षण उपरांत आत्मनिर्भर बन सकें।
4. छात्राओं को विषम परिस्थितियों का सामना करने के लिये आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
5. बालिकाओं की समाज में स्थिति और बालिकाओं में शिक्षा में विज्ञान एवं सामान्य ज्ञान के विकास एवं उनके बौद्धिक क्षमता के संवर्द्धन के लिये प्रतिवर्ष मेवात बालिका आवासीय विद्यालयों में किशोरी शैक्षणिक मेलों का आयोजन किया जाता है।
6. मेवात बालिका आवासीय विद्यालयों में शिक्षिकाओं की क्षमता अभिवर्द्धन के लिये विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण आयोजित कराए जाते हैं। जिससे शिक्षिकाओं में कन्डेन्स कोर्स शिक्षण दक्षता, Attitudinal, जीवन कौशल, विद्यालय प्रबन्धन एवं विषय वस्तु आधारित जानकारी प्रदान करवायी जाती है ताकि बालिकाओं की क्षमता एवं उनके बौद्धिक विकास में वे सहायक हो सकें।

• नामांकन एवं लाभान्वित बालिकाएं -

गत सत्र 2018-19 में मेवात बालिका आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत लाभान्वित बालिकाओं का वर्गवार विवरण निम्नानुसार है :-

S.N o.	Target	Achievement	Drop Out child	Never Enrolled	Orphan	CWSN	Single Parent	Over Age	Any other
1	450	443	4	175	0	0	35	0	229

- **आत्मरक्षा प्रशिक्षण** - आत्मरक्षा प्रशिक्षण अन्तर्गत गत सत्र 2018-19 में मेवात बालिका आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त बालिकाओं ने आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्राप्त किया।
- **भोजन तथा आवास** - मेवात बालिका आवासीय विद्यालयों में आवासरत समस्त बालिकाओं को निर्धारित मेन्यू के अनुसार नियमित पौष्टिक भोजन एवं आवास उपलब्ध करवाया जाता है। इसके साथ-साथ शुद्ध पेयजल, बिजली एवं दैनिक उपयोग की वस्तुएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है।
- **चिकित्सा सुविधा** - आवासरत प्रत्येक बालिका का नियमित चिकित्सकीय जांच करवाई जाती है।

गत वर्षों में संचालित गतिविधियों की पूर्णता/अपूर्णता -

मेवात बालिका आवासीय विद्यालयों में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित आवर्ती मद में अनुमोदन अनुसार समस्त मेवात बालिका आवासीय विद्यालयों का संचालन किया गया।

गतिविधि संचालन उपरांत प्रभावों का आंकलन -

प्रत्येक छात्रावास में वर्षपर्यन्त पीएबी के अनुमोदन अनुसार छात्रावास का संचालन किया जाकर बालिकाओं के शैक्षिक, मानसिक एवं शारीरिक विकास पूर्ण हो पाता है। इनके साथ ब्लॉक स्तर पर सी.बी.ई.ओ. जिला स्तर पर एडीपीसी प्रत्येक तिमाही में संचालित होने वाली गतिविधियों का प्रतिवेदन राज्य स्तर पर प्रेषित करेंगे। केजीबीवी टाईप-1 में अंकित निर्देशानुसार ही संबंधित अधिकारियों द्वारा संचालित गतिविधियों की नियमित मॉनीटरिंग की जायेगी।



मेवात बालिका आवासीय विद्यालयों के लिए वित्तीय प्रावधान 2019-20

District : Alwar

Month :

Hostel for 50 Girls		Rs. in lakhs	
Non-Recurring Cost (50 Children)		Phy.	Fin.
Replacement of Bedding (once in 3 years)		50	0.00
Recurring Cost : Residential Hostel			
SN	Financial Norms	Unit Cost	Budget
1	Maintenance (food component) per girl student per month @ Rs. 1650/- and indexed to the Consumer Price Index as approved for the Mid Day Meal Scheme	0.198	9.900
2	Stipend for girl student per month @ Rs. 150/-	0.018	0.900
3	Supplementary TLM, Stationary and other educational material for girl student @ Rs. 1000/- per annum	0.010	0.500
4	Salaries (Approx.)	11.28	11.28
5	Specific skill training per girl @ Rs. 1500/- per girls student per annum	0.015	0.750
6	Electricity / Water charges per girl @ Rs. 1500/- per girls student per annum	0.015	0.750
7	Medical care / Contingencies @ Rs. 1250/- per girls student per annum	0.0125	0.625
8	Maintenance @ Rs. 1000/- per girls student per annum	0.01	0.50
9	Miscellaneous @ Rs. 1500/- per girls student per annum	0.015	0.750
10	Capacity building @ Rs. 10000/- per annum	0.10	0.10
11	Physical/Self Defence training @ 10000/- per annum	0.10	0.10
Sub Total (Recurring)			
Grand Total (Recurring + Non Recurring)		11.77	26.15

(नोट :- वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2019-20 के अन्तर्गत उपरोक्त मदानुसार राशि आवंटित की गई है। इसी राशि के अनुरूप व्यय किया जाना सुनिश्चित करें।) (संलग्न - वार्षिक कार्य योजना एवं बजट वर्ष 2019-20 की प्रति)

1. प्रवेश हेतु पात्रता -

मेवात बालिका आवासीय विद्यालय मेवात क्षेत्र की, 10⁺-14 वर्ष आयु वर्ग की अनामांकित एवं ड्रापआउट बालिकाओं को कक्षा 6-8 तक अध्ययन करवाने हेतु संचालित किए जायेंगे। इन आवासीय विद्यालयों की नामांकन क्षमता 50 होगी। इन विद्यालयों का संचालन केजीबीवी टाईप-1 (50 बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय) की तर्ज पर किया जायेगा।

मेवात बालिका आवासीय विद्यालयों में लक्षित बालिकाओं को शिक्षा का अधिकार कानून के अनुसार प्रारंभिक रूप से कक्षा 6 के शैक्षिक स्तर तक लाने के लिए विशेष प्रशिक्षण (कक्षा 1 से 5 तक की क्षमताओं हेतु) दिया जाना है। इसके उपरान्त ही कक्षा 6 की दक्षताओं/पाठ्यक्रम का शिक्षण करवाया जाएगा। इस विशेष प्रशिक्षण (कक्षा 6 के शैक्षिक स्तर तक लाने हेतु) की अवधि बालिका के सीखने की गति के अनुसार लगभग 3 माह से 1 वर्ष तक की हो सकती है। इसके लिए बालिकाओं के अभिभावकों की सहमति नामांकन के समय ही प्राप्त कर ली जावे। दिनांक 1 अप्रैल, 2010 से सम्पूर्ण राज्य में अनिवार्य एवं निःशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार कानून लागू हो चुका है। इसके अनुसार कोई भी बालक-बालिका शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। **Never Enrolled & Drop out** श्रेणी की पात्र बालिकाओं को मेवाआवि में प्रवेश दिया जाना है। इस हेतु बालिका द्वारा पूर्व में प्राप्त शिक्षा तथा उसकी वर्तमान आयु से संबंधित किसी भी दस्तावेज/रिकॉर्ड की आवश्यकता नहीं होगी।

2. नामांकन एवं प्रवेश हेतु प्राथमिकता निर्धारण

नवीन सत्र में मई/जून माह से ही नामांकन की प्रक्रिया प्रारम्भ होगी। अलवर जिले के मेवात क्षेत्र के सभी विकास खण्डों की मेव जाति की ड्रॉपआउट तथा अनामांकित बालिकाओं को प्राथमिकता से प्रवेश दिया जाना है। यद्यपि ये आवासीय विद्यालय मेव जाति की बालिकाओं के लिए हैं किन्तु किन्हीं कारणवश क्षमतानुरूप नामांकन पूर्ण नहीं हो पाने की स्थिति में मेव क्षेत्र की ही बीपीएल श्रेणी की अनुसूचित जाति/जनजाति/अपिब वर्ग की ड्रॉपआउट एवं अनामांकित बालिकाओं को प्रवेश दिया जा सकता है। इनके लिये प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार है—

1. अनुसूचित जाति की बालिकाएं
2. अनुसूचित जनजाति की बालिकाएं
3. अन्य पिछड़ा वर्ग की बालिकाएं

नोट :-

1. किसी भी स्थिति में कुल प्रवेश का कम से कम 50 प्रतिशत मेव जाति की बालिकाओं का नामांकन होना आवश्यक है।
2. मेवात क्षेत्र के सभी विकास खण्ड की बालिकाओं को प्रवेश दिया जाये। यदि प्रवेश के निर्धारित लक्ष्य पूरे नहीं होते हैं तो जिले की अनामांकित/ड्रापआउट, अन्य ब्लॉक की बालिकायें तथा अन्य जिले की समीपस्थ ब्लॉक की अनामांकित बालिकाओं को भी प्रवेश दिया जा सकता है।
3. प्रवेश हेतु किसी भी वर्ग, एवं कक्षा में स्थान निर्धारित नहीं हैं।
4. प्रत्येक सत्र में आवासीय विद्यालय में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं के अभिभावकों से बालिका के आवासीय रहकर अध्ययन करने के संबंध में प्रमाण-पत्र लिया जावे।
 - मेवात बालिका आवासीय विद्यालयों में क्षमता से 10% अधिक बालिकाओं का नामांकन कराया जा सकता है।
 - मेवात बालिका आवासीय विद्यालयों में बालिकाओं का शतप्रतिशत नामांकन सुनिश्चित किया जावे।
 - मेवात बालिका आवासीय विद्यालयों में नव प्रवेशी बालिकाओं की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में 20 अगस्त तक भेजा जाना सुनिश्चित करें।

क्र. सं.	जिला	ब्लॉक	मेबाआवि का नाम	नव प्रवेशी बालिका का नाम	पिता का नाम	आयु	श्रेणी एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक	छात्र स्कॉलर रजिस्टर्ड संख्या	कक्षा जिसमें प्रवेश दिया गया	प्रवेश का आधार त्रिज कोर्स/विशेष प्रशिक्षण/सीटीएस अनुसार अनामांकित / ड्राप आउट/अन्य

1. जिले की समस्त मेबाआवि में लक्ष्य से 10 प्रतिशत अतिरिक्त नामांकन पूर्ण करने हेतु ब्लॉकवार योजना बनाई जाए।
2. जिन मेबाआवि में गत वर्षों में लक्ष्य से कम नामांकन रहा है वहां के लिये विशेष प्रयास किये जाए। ब्लॉक के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/बीईईओ एवं संबंधित संदर्भ व्यक्ति को लक्ष्य पूर्ण करने हेतु योजना बनाने, उनमें सक्रिय भूमिका निभाने, अनामांकित ड्राप-आउट बालिकाओं की सूची तैयार कर अभिभावकों से संपर्क करने आदि हेतु निर्देशित किया जाए।
3. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों का दायित्व होगा कि पात्र बालिकाओं के नामांकन की प्रक्रिया समय पर पूर्ण हों।

4. ब्लॉक स्तर पर प्रवेश एवं सम्बलन समिति निम्नानुसार होगी :-

प्रवेश एवं सम्बलन समिति

पीईईओ	अध्यक्ष
मेवात एसएमएसी / सचिव	सदस्य सचिव
वॉर्डन	सदस्य
आर.पी.	सदस्य
एडीपीसी द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि	सदस्य

5. मेवात बालिका आवासीय विद्यालयों में प्रतिनियुक्त शिक्षिकाओं को आवासीय सेवाएँ देना अनिवार्य है।
6. ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को नोडल विद्यालयों की बैठक में ब्लॉक के मेबाआवि की रिक्त सीटों के लिए संबंधित प्र.अ. को पात्र बालिकाओं को चिन्हित कर नामांकन करवाने हेतु निर्देश देने के लिए निर्देशित करें। मेबाआवि में बालिकाएं पूरे ब्लॉक परिक्षेत्र से प्रवेश ले इस हेतु कार्ययोजना बनाकर क्रियान्वित करें।
7. ब्लॉक के संबंधित संदर्भ व्यक्ति तथा मेबाआवि स्टाफ के द्वारा प्रवेश हेतु प्राप्त आवेदनों की छंटनी तथा पात्र बालिकाओं के नामों का अनुमोदन ब्लॉक स्तरीय प्रवेश एवं सम्बलन समिति द्वारा करवाया जाए।
8. प्रवेश एवं सम्बलन समिति रिक्त स्थानों की उपलब्धता के आधार पर प्रवेश सूची एवं आरक्षित सूची तैयार करेगी। दोनों सूचियों का अनुमोदन मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाए।
9. प्रवेश की इच्छुक बालिका के अभिभावक द्वारा एक आवेदन पत्र भरवाया जाये जिस पर प्रवेश दिलाने एवं आवासीय रहने के संबंध में सहमति प्राप्त की जाए। प्रवेश समिति द्वारा उक्त कार्य सुनिश्चित किया जायेगा।
10. प्रवेश हेतु प्रत्येक आवासीय विद्यालयों में एक प्रवेश फाईल संधारित की जाएगी तदनुसार छात्रा स्कॉलर रजिस्टर तैयार किया जाएगा। प्रत्येक सत्र में ग्रीष्मावकाश से पूर्व छात्रा स्कॉलर रजिस्टर अपडेट किया जाएगा।
11. मेबाआवि के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि यह विद्यालय सीमित सीटों के लिये विशेष सुविधायुक्त है। अतः इनमें कोई भी सीट रिक्त नहीं रहनी चाहिए अथवा लम्बे समय तक अनुपस्थित रहने वाली बालिका के स्थान पर भी वर्षपर्यन्त कभी भी प्रवेश दिये जाने का प्रावधान है।
12. मेबाआवि में लक्ष्य से 10 प्रतिशत अतिरिक्त नामांकन निर्धारित तिथि तक पूर्ण किये जाने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.), अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक तथा बालिका शिक्षा प्रभारी द्वारा प्राथमिकता से मॉनिटरिंग करवाया जाना सुनिश्चित करें।
13. मेबाआवि में शिक्षिकाओं के अभाव में नामांकन न्यून न रहे इस हेतु मेबाआवि में प्रतिनियुक्ति चाहने वाली शिक्षिकाओं की नियमानुसार प्रतिनियुक्ति करवाई जावे। प्रतिनियुक्ति न होने की स्थिति में जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) द्वारा व्यवस्थार्थ शिक्षिकाएं लगवाई जावे। किसी भी स्थिति में मेबाआवि में शिक्षिकाओं के पद रिक्त न रहें एवं शिक्षिकाओं के अभाव में अध्यापन कार्य प्रभावित न हो। उक्त निर्देश सभी मेबाआवि हेतु सत्र पर्यन्त प्रभावी होंगे। जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शि. अलवर एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, अलवर उक्त निर्देशों की पालना हेतु उत्तरदायी होंगे।



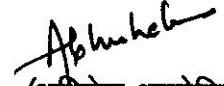
ब्लॉक स्तरीय प्रवेश एवं सम्बलन समिति के दायित्व

- संबंधित ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी ब्लॉक स्तरीय सम्बलन समिति की बैठक आयोजित कर प्रवेश सूची जारी करेंगे।
- संदर्भ व्यक्ति द्वारा माह अगस्त के द्वितीय सप्ताह में कोई तिथि तय कर प्रवेश एवं सम्बलन समिति की बैठक आयोजित की जाये। इस बैठक में प्रवेश एवं सम्बलन समिति के सभी सदस्यों अथवा जिनके पास चार्ज है, की उपस्थिति अनिवार्य है। यह समिति निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुये प्रवेश हेतु अभिशंषा करेगी।
- प्रवेश एवं सम्बलन समिति वर्तमान में रिक्त स्थानों की सूचना प्रधानाध्यापिका से प्राप्त करेगी।
- प्राप्त सहमति पत्रों का वर्गवार वर्गीकरण करेगी तथा प्राथमिकता का निर्धारण कर प्रवेश सूची तैयार करेगी। यदि प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या ज्यादा है तो सभी वर्गों की बालिकाओं को निर्धारित प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जाये। जिस परिवार की आय सबसे कम है उसे प्राथमिकता दी जाये। कम आय से अधिक आय की वरीयता बनाई जाये।
- प्रवेश की सूची के साथ आरक्षित सूची भी तैयार की जावे।
- प्रवेश सूची एवं आरक्षित सूची का अनुमोदन मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/बीईईओ द्वारा किया जायेगा।
- मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/बीईईओ द्वारा अनुमोदित प्रवेश चाहने वाली बालिकाओं को बुलाकर प्रवेश फॉर्म भरवाये जाये।
- बालिकाओं की आयु के अनुसार उनकी कक्षा का निर्धारण कर मेवात बालिका आवासीय विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित करें। नवप्रवेशी समस्त बालिकाओं को कन्डेन्सड कोर्स के माध्यम से अध्ययन करवाया जायेगा। आयु अनुरूप निर्धारित कक्षा से पूर्व कक्षा तक की दक्षता प्राप्त करने के उपरांत ही बालिका को निर्धारित कक्षा में निरन्तर शिक्षण करवाया जायेगा।

विशेष दिशा निर्देश –

1. मेवात बालिका आवासीय विद्यालयों में आत्मरक्षा प्रशिक्षण आयोजित कराये जाने हेतु राशि रुपये 10000/- प्रति मेवात बालिका आवासीय विद्यालय में कैपेसिटी बिल्डिंग मद से खर्च की जा सकेगी।
2. मेवात बालिका आवासीय विद्यालयों में खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने एवं उनके आयोजन हेतु राशि रुपये 200/- प्रति बालिका मेडिकल कैंयर एण्ड कन्टीजेन्सी उपमद से व्यय की जायेगी। इन विद्यालयों की बालिकायें केजीबीवी की बालिकाओं की तरह जिला, संभाग एवं राज्य स्तरीय खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में भाग लेगी।
3. मेवात बालिका आवासीय विद्यालयों की बालिकाएं संबंधित ब्लॉक की केजीबीवी द्वारा आयोजित शैक्षिक किशोरी मेले में भाग लेंगी एवं उनके द्वारा तैयार की गई स्टॉल का प्रदर्शन भी शैक्षिक किशोरी मेले में किया जायेगा। इस हेतु व्यय केजीबीवी टाईप-1 की तरह आनुपातिक रूप से क्षमता संवर्द्धन मद में से किया जा सकेगा।
4. इन विद्यालयों में आवर्ती एवं अनावर्ती मद में प्राप्त राशि का उपयोग शाला प्रबंधन समिति द्वारा एक 6 सदस्यीय क्रय समिति (केजीबीवी परिपत्र 2019-20 अनुसार) गठित कर किया जावे। जहां आवश्यक हों केजीबीवी परिपत्र का संदर्भ लेवें।

5. विद्यालय भवन की मरम्मत एवं आधारभूत निर्माण कार्य ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर अथवा तय की गई कार्यकारी एजेन्सी द्वारा कराये जायेंगे। अतः आधारभूत निर्माण एवं मरम्मत कार्य के लिए यथा समय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर एवं परियोजना निदेशक शासन सचिवालय, जयपुर को जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान अलवर द्वारा अवगत कराया जावे।
6. उक्त विद्यालयों के संचालन के लिए "परिपत्र कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय "टाईप-1" 2019-20 के निर्देशों की पालना की जावे। केजीबीवी परिपत्र 2019-20 वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में आवासीय छात्रावास मद में इन विद्यालयों हेतु प्राप्त राशि के उपयोग के संदर्भ में उक्त दिशा-निर्देशों का अनुसरण किया जा सकेगा।



(अभिषेक भागोटिया)
राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक : 6348

दिनांक : 3/10/2019

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

- 1 निजी सचिव, शासन सचिव, (स्कूल) शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 2 निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- 3 निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक -1 राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- 4 निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक-2, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- 5 वित्त नियंत्रक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- 6 उपनिदेशक, आई.टी, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर को पोर्टल पर पब्लिक डोमेन में अपलोड कराने हेतु।
- 7 उपनिदेशक, समस्त जिले, समग्र शिक्षा अभियान।
- 8 अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिलों को प्रेषित कर लेख है कि पत्र की प्रति सभी संबंधित सी.बी.ई.ई.ओ एवं प्रधानाध्यापिका केजीबीवी को भिजवाना सुनिश्चित करें।
- 9 समस्त, जिला प्रभारी अधिकारी, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर, ।
- 10 समस्त, पीईईओ।
- 11 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं एसीबीईईओ, समस्त जिले।
- 12 प्रधानाध्यापिका/वॉर्डन समस्त केजीबीवी।
- 13 रक्षित पत्रावली।



(स्नेहलता हारीत)
उपायुक्त, केजीबीवी

